

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)  
पीठासीन अधिकारी - श्री राजकेश मीना  
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 54A/2024

उनवान

- 1 छोटू पिता रामदयाल चमार उग्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
- 2 मु.देऊ बैवा रामदयाल चमार उग्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
- 3 मु.कान्ता पुत्री रामदयाल चमार उग्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
- 4 सम्पति पुत्री रामदयाल चमार उग्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

प्रार्थीगण

बनाम

- 1 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

- 1 स्वयं
- 2 राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

आदेश

दिनांक- 15.03.2024

प्रार्थनापत्र ब-हक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थी राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 सहमती से स्वीकार किया जाकर ग्राम कनेछनकलां पटवार हल्का क्षेत्र कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा स्थित खतौनी संख्या 123 के आराजी संख्या 1086, 1087, 1784 किता 3 रकबा 0.76 हैक्टे. भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामदेव चमार के स्थान पर रामदयाल चमार सादेह दुरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार फुलियाकलां तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करे। खर्चा फरिक्केन अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां  
जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि-

- 1 तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ प्रेषित है।

2023.06.06 12:12  
जिला शाहपुरा